2012/0009

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट,सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 62/2012

प्रार्थीगण
1.मालमसिंह पुत्र आम्बसिंह
2.गणपतसिंह पुत्र आम्बसिंह
जाति राजपूत निवासी मिठोड़ा
हाल सिवाना तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.जबरसिंह पुत्र सोहनसिंह
जाति राजपूत निवासी पीपलूण
तहसील,सिवाना
2.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये
सरपंच ,ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 14 दिनांक 16.08.2011 जो ग्राम पंचायत,सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
3.अप्रार्थी सं.02 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 जबरसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि उसका मकान पुराना रहवासीय कब्जा सुदा वाके सिवाना बमोहल्ला गांधी चौक पावर हाउस के पीछे गली में कुल क्षेत्रफल 2603,7/8 (289.62 वर्ग गज) का आया हुआ है जिसका पट्टा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 295 कायम कर अप्रार्थी जबरसिंह के नाम नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 14 दिनांक 16.08.2011 को जारी कर दिया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा की भूमि में 60X13 वर्ग फीट की भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 09.05.2011 को प्रार्थीगण को पट्टा जारी किया है। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य होने व पट्टा नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थीगण ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रही। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

4. .हमने उभय पक्ष को सुना। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह कथन कि कस्बा सिवाना में मोकलसर रोड पर स्व.हंसराज खण्डेलवाल का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जो उसके देहान्त पर विरासत में उनके वारिशान सुरेश कुमार, अशोक कुमार,महेन्द्रकुमार पिसरान हंसराज व मुस्मात कंपूदेवी बेवा हंसराज को प्राप्त हुआ जिन्होने अपनी कदीमी कब्जे का भूखण्ड प्रतिफल की राशि लेकर दिनांक 05.09.2007 को कब्जा केता प्रार्थीगण को सौप दिया जिस पर ग्राम पंचायत में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन पर मौके की जॉच एंव भौतिक कब्जे व स्वामित्व के आधार पर पट्टा संख्या 4 दिनांक 09. 6.2011 को उनके पक्ष में विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी को जारी पट्टा की भूमि 13X 77= 1001 उसकी पट्टा सुदा भूमि है जिस पर उसका स्वामित्व व आधिपत्य का भूमि है।अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत सिवाना से सांठ गांठ कर जॉच विधिक प्रकिया अपनाये बिना प्रार्थीगण की 60 फीट उतर दक्षिण व 13 फीट पूर्व पश्चिम पर पट्टा जारी किया जो गलत एंव नियम विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है ग्राम पंचायत सिवाना ने अप्रार्थी संख्या 01 के हक में 2604.7/8(287.62 वर्ग गज) वर्ग गज का भूखण्ड विनियमित कर भूमि की कीमत रूपये 200/–वसूली कर नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 14 जारी किया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय/पट्टा प्राप्त करना चाहता हैं तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25 रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25 रूपये जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इस भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जा है एंव अप्रार्थी का मकान बना हुआ है अथवा नही? नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्यिों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। मगर नोटिस जारी करना एंव चस्पांदगी का कोई साक्ष्य नहीं है। यह पट्टा ग्राम पंचायत सिवाना ने नियम 157(1) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी किया है। इस नियम के तहत 50 वर्षो से अधिक पूर्व निर्मित मकानो हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि पत्रावली पर मकान निमित होने का कोई साक्ष्य पेश नही हुआ है। इस मामले में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निर्मित मकान होना और पुराना होना नहीं बताया है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण में भी मकान बना हुआ है अथवा नहीं, मकान बने हुए है तो कब से, कितनी भूमि खाली छोड़ी गई है, कितने माप का पटटा जारी किया जा रहा है। कितना Carpet area है, का कोई कथन विवरण तक उल्लेखित नहीं है। ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 14 के अवलोकन से जारी पट्टा करने की दिनांक रिक्त छोड़ी गई है। नियम 167 (2)के अनुसार पट्टे पर सरपंच और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेगें। मगर जारी पट्टा पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को एंव प्रस्तुत दस्तावेजात को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में जो पट्टा संख्या 04 दिनांक 9.6.2011 जारी किया गया है वह पट्टा उसके कब्जा के अनुसार एंव उसके द्वारा पूर्व में क्रय किया गया प्रतीत होता है तथा अप्रार्थी जबरसिंह के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 14 दिनांक 16.8.2011 जो प्राथी के पट्टा जारी होने के पश्चात् जारी किया गया है तथा वह भी पट्टा तीन अलग अलग प्लोटों के नाप का होना बताकर जारी किया गया है और इस जारी पट्टा में प्रार्थी के पट्टा वाला भूखण्ड भी सम्मिलित होना प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी द्वारा जो दक्षिण दशा में जो पाड़ौस आम्बसिंह का भूखण्ड बताया गया है वही पड़ौस अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किये गये पट्टा में दक्षिण दिशा में पड़ौस आम्बसिंह का भूखण्ड बताया गया है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा भौतिक स्थिति के अनुसार जारी किया हुआ प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा विवादग्रस्त भूमि पर नियम 145 से 157 एंव 167 की पालना नहीं होने, निर्धारित प्रकिया एंव जॉच किये बिना ही प्रार्थीगण को जारी पट्टा की भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 16.08.2011 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 16.08.2011 को खारिज किया जाता है और मामला ग्राम पंचायत सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 09.06.2011 को जारी पट्टा में अंकित भूमि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 एंव 167 में निर्धारित प्रकिया अपनाकर, मौका मुआयना कर,दोनो पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर, साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड पर लेकर नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर